वित्त एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय

मांग संख्या 35

राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्तरण

क. वसूलियों तथा राजस्व प्राप्तियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2002-2003			संशोधित 2002-2003			बजट 2003-2004		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		17360.00	17071.95	34431.95	18342.53	12818.51	31161.04	19909.64	16030.11	35939.75
पूंजी		*24177.00*	*...*	*24177.00*	*21639.35*	*2154.00*	*23793.35*	*23196.92*	*...*	*23196.92*
जोड़		**41537.00**	**17071.95**	**58608.95**	**39981.88**	**14972.51**	**54954.39**	**43106.56**	**16030.11**	**59136.67**
राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को सहायता अनुदानः										
आयोजना-भिन्न अनुदान										
1. संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान	3601	...	16546.95	16546.95	...	12473.51	12473.51	...	14955.11	14955.11
2. रेलवे सुरक्षा निर्माण कार्यों के लिए	3601	...	...	...	...	1.14	1.14	...	...	...
अनुदान रेलवे सुरक्षा निर्माण कार्यों के लिए अनुदान से पूरी की गई राशि	8235	...	...	...	...	-1.14	-1.14	...	...	...
	निवल	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को केंद्रीय करों और शुल्कों में हिस्से के एवज़ में अनुदान	3602	...	325.00	325.00	...	325.00	325.00	...	325.00	325.00
4. गुजरात सरकार को आयोजना भिन्न अनुदान	3601	...	...	...	...	...	...	...	700.00	700.00
राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को ऋण और अग्रिमः										
आयोजना-भिन्न ऋण										
5. अर्थोपाय अग्रिम										
5.01 अदायगियां	7601	...	2000.00	2000.00	...	3500.00	3500.00	...	2000.00	2000.00
5.02 घटाइए-वर्ष के दौरान वसूलियां	7601	...	-2000.00	-2000.00	...	-3500.00	-3500.00	...	-2000.00	-2000.00
	निवल	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6. मिजोरम, सरकार को अनुदान के रूप में ऋणों का रूपांतरण	7601	...	...	...	...	2154.00	2154.00	...	...	...
7. राज्य सरकारों को बट्टे खाते डाले गए ऋण	2075	...	200.00	200.00	...	20.00	20.00	...	50.00	50.00
राज्यों की आयोजनागत स्कीमों के लिए अनुदान/ऋणः										
8. एकमुश्त अनुदान	3601	17360.00	...	17360.00	18342.53	...	18342.53	19909.64	...	19909.64
9. एकमुश्त ऋण	7601	24177.00	...	24177.00	21639.35	...	21639.35	23196.92	...	23196.92
प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत										
10. राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि को अंतरण	2245	...	1600.00	1600.00	...	1600.00	1600.00	...	3600.00	3600.00
घटाइए-आय कर/निगम कर पर अधिभार	0021	...	-1600.00	-1600.00	...	-1600.00	-1600.00	...	-3600.00	-3600.00
	निवल	...	...	...	...	...	...	...	...	...
11. राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से राज्यों को सहायता	3601	...	1600.00	1600.00	...	1600.00	1600.00	...	1600.00	1600.00
घटाइए-एन.सी.सी.एफ.से अंतरण द्वारा पूरी की गई राशि	8235	...	-1600.00	-1600.00	...	-1600.00	-1600.00	...	-1600.00	-1600.00
	निवल	...	...	...	...	...	...	...	...	...
कुल जोड़		***41537.00***	***17071.95***	***58608.95***	***39981.88***	***14972.51***	***54954.39***	***43106.56***	***16030.11***	***59136.67***
ग. आयोजना परिव्यय	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़
1. सामान्य केन्द्रीय सहायता	43601	20172.00	...	20172.00	18710.97	...	18710.97	22484.16	...	22484.16
2. विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता	43601	6500.00	...	6500.00	8721.00	...	8721.00	6728.00	...	6728.00
3. विशेष केन्द्रीय सहायता-पर्वतीय क्षेत्र	43601	160.00	...	160.00	160.00	...	160.00	160.00	...	160.00
4. विशेष केन्द्रीय सहायता-सीमा क्षेत्र	43601	260.00	...	260.00	325.15	...	325.15	260.00	...	260.00
5. विशेष केन्द्रीय सहायता	43601	...	...	...	769.42	...	769.42	...	...	...

(करोड़ रुपए)

		बजट 2002-2003			संशोधित 2002-2003			बजट 2003-2004		
	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़
6. प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना (पी.एम.जी.वाई)	43601	2800.00	...	2800.00	2600.00	...	2600.00	2766.00	...	2766.00
7. गन्दी बस्ती विकास	43601	365.00	...	365.00	341.34	...	341.34	341.00	...	341.00
8. विशेष आयोजना सहायता	43601	700.00	...	700.00	733.00	...	733.00	700.00	...	700.00
9. त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम	43601	2800.00	...	2800.00	2800.00	...	2800.00	2800.00	...	2800.00
10. अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	43601	...	...	...	1577.00	...	1577.00	...	...	...
11. त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम	43601	3500.00	...	3500.00	1089.00	...	1089.00	3500.00	...	3500.00
12. ग्रामीण विद्युतीकरण	43601	600.00	...	600.00	600.00	...	600.00	600.00	...	600.00
13. अन्नपूर्णा सहित राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	43601	680.00	...	680.00	680.00	...	680.00	676.00	...	676.00
14. विकास तथा सुधार सुविधा	43601	500.00	...	500.00	100.00	...	100.00	500.00	...	500.00
15. राष्ट्रीय श्रम विकास योजना (आरएसवीवाई)	43601	2500.00	...	2500.00	775.00	...	775.00	1450.00	...	1450.00
16. किशोरियों के लिए पोषाहार कार्यक्रम	43601	...	...	...	...	...	...	141.40	...	141.40
जोड़		**41537.00**	**...**	**41537.00**	**39981.88**	**...**	**39981.88**	**43106.56**	**...**	**43106.56**

इस मांग में संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत राज्यों को ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर देय अनुदान; राज्य आयोजनागत स्कीमों के लिए ब्लॉक अनुदान तथा ऋण; ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए ऋण; माध्यम अवधि आयोजना-भिन्न ऋण; राज्यों को अल्पावधिक अर्थोपाय अग्रिम तथा राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि, जिस की स्थापना ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के पश्चात् की गई, एनसीसीएफ निधियन इस प्रयोजनार्थ वैयक्तिक तथा निगम आय कर पर प्रभारित अधिभार से प्राप्त राशि से किया जाएगा।

ग्रामीण स्तर पर स्थाई मानव विकास के लिए ***"प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना (पीएमजीवाई)"*** नामक एक नई योजना वर्ष 2000-2001 में आरम्भ की गई थी। यह स्कीम ग्रामीण सड़कों, ग्रामीण स्वास्थ्य, पेय जल, प्राथमिक शिक्षा तथा ग्रामीण आवास पर ध्यान केंद्रित करेगी। राज्य प्लान योजना के लिए ब्लाक अनुदानों तथा ऋणों के तहत इस संबंध में शामिल किए गए हैं। वर्ष 2001-2002 से, ग्रामीण सड़क घटक "प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना" के अंतर्गत 100% अनुदान योजना के रूप में ग्रामीण विकास मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया गया है। वर्ष 2002-2003 से राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (अन्नपूर्णा सहित), शहरी अवसंरचना सुदृढ़ीकरण के लिए उपाय एवं विकास तथा सुधार सुविधा जिसका नाम बदल कर राष्ट्रीय सम विकास योजना रख दिया गया है, राज्य आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में शुरु की गई नई योजनाए हैं। वर्ष 2003-04 से, किशोरियों के लिए पोषाहार कार्यक्रम राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में अनुमोदित नई योजना है। इसी प्रकार वर्ष 2003-04 से, राज्यों को, अप्रैल, 2003 से मूल्य वर्धित कर की शुरुआत के कारण उनको हुई राजस्व हानियों के लिए क्षतिपूर्ति हेतु विशेष सहायतानुदान प्रदान करने के लिए प्रावधान किया जा रहा है।

वर्ष 2002-03 से पूर्वोत्तर तथा सिक्किम के लिए केन्द्रीय संसाधन पूल से सहायता के घटक को पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग को अंतरित कर दिया गया है।

इस अनुदान के अंतर्गत शामिल प्रावधान राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को वित्त एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय द्वारा अंतरित संसाधनों के अंतरण के द्योतक हैं।